

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक: न-9/स्कू0भ0मा0-D-PO-113-2023

दिनांक: मार्च 31, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

CENTRAL SCHOOL FOR TIBETANS

Happy Valley, Mussoorie

जनपद-देहरादून।

विषय

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिट नम्बर 87582681 दिनांक 27.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Happy Valley, Mussoorie, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (CENTRAL SCHOOL FOR TIBETANS) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी मसूरी द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 29.03.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईडेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन ब्लॉक-ए (भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल में 12 कमरे व 01 हॉल), ब्लॉक-बी (भूतल में 15 कमरे), ब्लॉक-सी (भूतल में 11 कमरे) तथा ब्लॉक-डी (भूतल में 10 कमरे) में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 01 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक तथा 15 हजार लीटर क्षमता का सिंटेक्स पानी टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक के टैरिस में 04 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक मय टैरिस पम्प व 02 अद्द होजरील (30 मीटर लम्बी मय नाजुल) का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में एम0सी0पी0 एवं हूटर का प्राविधान किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 40 अद्द (27 अद्द ए0बी0सी0 तथा 13 अद्द सी0ओ0टू0) फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा में है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में पर्याप्त निकास मार्ग एवं प्रत्येक तल हेतु दो रेलिंग युक्त सीढ़ियों का प्राविधान किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेन्ज ओवर लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
10. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
11. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
12. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्गों/सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन में छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थायी ढांचा नहीं बनाया जायेगा।
13. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर Happy Valley, Mussoorie, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (CENTRAL SCHOOL FOR TIBETANS) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्त भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेंगे ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर-0135-2632100, 2630101 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर-100, 112 एवं एम्बुलेन्स का टेलीफोन नं0-108 अंकित करेंगे। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर० ए० सी० झाड़ी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून